# निर्णय वइजलास श्री रामसिंह गुर्जर आर.ए.एस. उपखण्ड अधिकारी छबडा जिला बारां द्वारा अध्यासित

प्रकरण संख्या 53 / 2025
दायरा दिनांकः–23.06.2025
निर्णय दिनांकः– 5.11.25

## उनवान

1. रामकल्याण आयु 72 वर्ष पुत्री श्यामलाल जाति चमार निवासी ग्राम जैपला तहसील छबडा जिला बारां (राज0)

बनाम

1. राजस्थान सरकार जर्ये तहसीलदार तहसील छबड़ा जिला बारां

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136,एल0 आर एक्ट

निर्णय दिनांकः– 5.11.25

अभिभाषक उपस्थितः–1. श्री नारायणलाल चौरसिया – प्रार्थी

अभिभाषक प्रार्थी द्वारा प्रार्थना पत्र अन्तर्गत 136,एल0 आर एक्ट विरूद्ध अप्रार्थीगण के न्यायालय में इस आशय का पेश किया गया कि प्रार्थी के पिता श्यामलाल के खातेदारी एंव कब्जे काश्त की भूमि खाता संख्या 298 / 289 खसरा नम्बर 452 रकबा 1.2899 हैक्टयर भूमि ग्राम जैपला मे स्थित है प्रार्थी के पिता का स्वर्गवास हो गया है स्वर्गवास के पश्चात उक्त विवादग्रस्त भूमि पर श्यामलाल के वारिसान कब्जा काश्त करते चले आ रहे है। प्रार्थी के पिता श्यामलाल के पिता का नाम राजस्व कर्मचारियो की गलती से छीत्या के स्थान पर सीताराम दर्ज हो गया है जिसे न्यायहित मे श्यामलाल पुत्र सीताराम उर्फ छीत्या किया जाना न्यायहित मे आवश्यक है। प्रार्थी पिता के स्वर्गवास के पश्चात हल्का पटवारी के पास उक्त भूमि का इन्तकाल खुलवाने के लिए गया तो प्रार्थी को हल्का पटवारी द्वारा बताया गया कि श्यामलाल के पिता का नाम सीताराम के स्थान छीत्या करवाकर लेकर आओ तब जाकर इन्तकाल खोलूंगा। प्रार्थी के दादा का नाम सीताराम खाते मे होने से प्रार्थी के नाम इन्तकाल नही खुल पा रहा है इस लिए प्रार्थीगण सरकारी योजनओ का लाभ लेने से वंचित हो रहे है। खाते मे प्रार्थी के पिता श्यामलाल के पिता का नाम सीताराम के स्थान पर छीत्या किया जाना आवश्यक है।

उपखण्ड अधिकारी
छबड़ा (बारां)

प्रार्थी का प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर कर अप्रार्थी पैरोकार सरकार जरिये सम्मन तलब किया गया। अप्रार्थी पैरोकार की ओर से रिपोर्ट/जवाब प्राप्त हुई प्रार्थी द्वारा अपने पक्ष के समर्थन में नकल जमाबन्दी ग्राम जैपला सम्वत् 2074–77 खाता संख्या 298 स्टेट बैंक ऑफ बीकानेर एंड जयपुर का भार मुक्त प्रमाण पत्र नकल जमाबन्दी ग्राम जैपला सम्वत् 2054–57 नकल जमाबन्दी ग्राम जैपला सम्वत् 2074–77 खाता संख्या 288 नकल जमाबन्दी ग्राम जैपला सम्वत् 2074–77 खाता संख्या 300 नकल जमाबन्दी ग्राम जैपला 2074–77 खाता संख्या 299 पेश की गई।

बहस अभिभाषक प्रार्थी सुनी गई। बहस के दौरान अभिभाषक प्रार्थी द्वारा प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों को दौहराया गया। अभिभाषक प्रार्थी का कथन है कि प्रार्थी के पिता श्यामलाल के खातेदारी एवं कब्जे काश्त की भूमि खाता संख्या 298 के खसरा नम्बर 452 रकबा 1.2899 है0 भूमि ग्राम जैपला में स्थित है प्रार्थी के पिता का स्वर्गवास हो गया है स्वर्गवास के पश्चात् भूमि पर श्यामलाल के वारिसान का कब्जा चला आ रहा है प्रार्थी के पिता श्यामलाल के पिता यानि कि प्रार्थी के दादा का नाम सहवन से छीत्या के स्थान पर सीताराम दर्ज हो गया है प्रार्थी के पिता का स्वर्गवास हो गया है प्रार्थी के नाम फोती नामान्तरण खुलवाना में परेशानी आ रही है प्रार्थी के दादा का नाम सीताराम उर्फ छीत्या दर्ज होने पर प्रार्थी के नाम फोती नामान्तरण दर्ज हो सकेगा। इसलिए प्रार्थी के दादा का नाम श्यामलाल पुत्र सीताराम के स्थान पर श्यामलाल पुत्र सीताराम उर्फ छीत्या दर्ज किया जावें। जिसमें प्रार्थी के पिता का फोती नामान्तरण प्रार्थी के नाम दर्ज किया जा सकें। प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार फरमाया जावें।

इस सम्बन्ध में तहसीलदार छबडा से रिपोर्ट ली गई। तहसीलदार छबडा ने रिपोर्ट में बताया कि ग्राम जैपला की आराजी खसरा नम्बर 452 रकबा 1.2899 है0 पर काबिज खातेदार श्यामलाल पुत्र सीताराम हिस्सा पूर्ण जाति चमार निवासी जैपला था। खातेदार श्यामलाल के पिता को गांव में छीत्या ओर सीताराम दोनो नामों से जाना जाता था। उक्त तथ्या की पुष्टि मौजूदा मौतबीरानों द्वारा की गयी है खसरा नम्बर 452 पर खातेदार श्यामलाल पुत्र सीताराम के स्थान पर श्यामलाल पुत्र सीताराम उर्फ छीत्या दर्ज करने की अनुशंषा की है।

बहस अभिभाषक प्रार्थी सुनी गई। पत्रावली एवं रिकार्ड का अवलोकन किया गया। प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत नकल जमाबन्दी ग्राम जैपला सम्वत् 2074–77 खाता संख्या 298 में श्यामलाल पुत्र सीताराम दर्ज है नकल बैंक से जारी भार मुक्त प्रमाण पत्र में श्यामलाल पुत्र छीत्या एवं रामकल्याण पुत्र श्यामलाल दर्ज है नकल जमाबन्दी ग्राम जैपला सम्वत् 2054–57 में श्यामा पुत्र छीत्या इसी प्रकार जमाबन्दी सम्वत् 2074–77 खाता संख्या 288 में श्यामा पुत्र छीत्या हिस्सा 1/9 दर्ज है खाता संख्या 300 में खाता संख्या 299 में भी श्यामा व श्यामलाल पुत्र छीत्या दर्ज हे इससे यह साबित होता है कि श्यामलाल के अन्य खातों में श्यामलाल पत्रु छीत्या सही दर्ज है परन्तु खाता संख्या 298 में श्यामलाल पुत्र सीताराम गलत दर्ज है जिसे प्रार्थी दुरुस्त कराना चाहता है। तहसीलदार छबडा ने भी श्यामलाल के पिता का नाम सीताराम व छीत्या दोनो एक ही व्यक्ति के होना बताया है। तहसीलदार छबडा की अनुशंषा एवं प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत दस्तावेज के आधार पर प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाना न्यायोचित है।

उपखण्ड अधिकारी
छबड़ा (बारां)

:: **क्रियात्मक आदेश** ::

उपरोक्त विवेचनानुसार प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है विवादित आराजी वाके ग्राम जैपला तहसील छबड़ा के खसरा नम्बर 452 रकबा 1.2899 है0 में दर्ज श्यामलाल पुत्र सीताराम के स्थान पर श्यामलाल पुत्र सीताराम उर्फ छीत्या दर्ज करने के आदेश तहसीलदार छबडा को दिये जातें है।

निर्णय लिखाया जाकर सरे इजलास सुनाया गया।

(रामसिंह गुर्जर)
आर.ए.एस.
उपखण्ड अधिकारी, छबडा

उपखण्ड अधिकारी
छबड़ा (बारां)